भारतसरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,
Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue
कार्यालयप्रधान आयुक्त,केन्द्रीय माल एवं सेवा कर,रायपुर
Office of the Principal Commissioner, Central Goods & Service Tax, Raipur
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भवन, धमतरी रोड, टिकरापारा, रायपुर –492001 छत्तीसगढ़Central Excise Building, Dhamtari Road, Tikrapara, Raipur – 492001 (Chhattisgarh)
Tel: 0771-2274887 Fax: 0771-2274561
Web: www.cexraipur.gov.in E-Mail: cexraipu@excise.nic.in

F.No.IV(06)Enq/85/Adhiraj/2020-21/P/Pt Dated 22.02.2023

प्रेस नोट

गोपनीय सूचना के आधार पर केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रायपुर के अधिकारियों ने मैसर्स ययूनाइटेड इस्पात, रायपुर के परिसर पर निवारक कार्यवाही की और यह पाया कि उक्त फर्म किसी भी प्रकार के माल या सेवाओं की आपूर्ति किए बिना बड़े पैमाने पर फर्जी बिल बनाने और नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित करने में लिप्त है ।

जांच से पता चला कि श्री सौरभ अग्रवाल मैसर्स यूनाइटेड इस्पात के नाम से फर्जी फर्म के निर्माण और संचालन के पीछे मास्टरमाइंड है। मैसर्स यूनाइटेड इस्पात ने ओड़ीशा और छत्तीसगढ़ में स्थित विभिन्न फ़र्मों से 15.32 करोड़ रुपये का नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया और किसी भी प्रकार के माल और सेवाओं की आपूर्ति किए बिना अन्य फर्मों को 16.94 करोड़ रुपये का नकली क्रेडिट पारित किया। श्री सौरभ अग्रवाल सभी गतिविधियों को संचालित कर रहे थे और फर्जी लेनदेन के मुख्य लाभार्थी पाए गए है।

तदनुसार, श्री सौरभ अग्रवाल को 21.02.2023 को केंद्रीय जीएसटी टीम द्वारा सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69 (1) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया और अदालत के समक्ष पेश किया गया और माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 14 दिनों की रिमांड मंजूर किया है ।

इसके अलावा गोपनीय सूचना के आधार पर कि बड़ी संख्या में संदिग्ध करदाताओं ने छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर संचालित फर्जी फर्मों द्वारा जारी किए गए नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया है, 147 संदिग्ध करदाताओं की वास्तविकता का पता लगाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया और ऐसे सभी करदाताओं का भौतिक सत्यापन किया गया। यह भौतिक सत्यापन रायपुर सीजीएसटी आयुक्तालय के अधिकारियों द्वारा एक ही दिन में किया जिसमें बिना आपूर्ति किए इन्वोइस जारी करने वाले 73 फर्जी पार्टियों की पहचान की गई । इन सभी

करदाताओं का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच के आधार पर यह पता चला है कि इन करदाताओं ने लगभग 118 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित आईटीसी की वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाए जा चुके हैं और छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य सभी उपयुक्त कार्यालयों को भी इस तरह के क्रेडिट की वसूली के लिए सतर्क कर दिया गया है ।

पूर्व में भी सीजीएसटी रायपुर ने कर चोरी करने वालों के खिलाफ और विशेष रूप से फर्जी बिलिंग के कारोबार में शामिल करदाताओं के खिलाफ सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की है। इन गिरफ्तारियों के साथ, जीएसटी लागू होने के बाद से सीजीएसटी रायपुर आयुक्तालय द्वारा गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है।

(अतुल गुप्ता, आईआरएस)
प्रधान आयुक्त
सीजीएसटी रायपुर